ग्राहकों हेतु सेन्ट्रलाइट
Centralites for Customers

वार्षिक रिपोर्ट 2013 - 2014
Annual Report 2013-2014

हमारी प्रगति ग्राहक 'केंद्रित'
The Customer is 'Central' to our growth

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

विषय–सूची /Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	**2**
निदेशक मंडल/Board of Directors	4
नोटिस	5
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	9
निदेशक रिपोर्ट 2013–14	10
प्रबंधतंत्र विचार–विमर्श तथा विश्लेषण	15
कार्पोरेट गवर्नेंस	55
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	78
दिनांक 31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र	81
दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	83
तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते की अनुसूचियां	85
मुख्य लेखांकन नीतियां	92
लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियां	97
दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	120
दिनांक 31 मार्च, 2014 का समेकित तुलन पत्र	166
प्रॉक्सी फॉर्म	195
Chairman & Managing Director's Message	197
Notice	199
Performance Highlights	203
Director's Report 2013-14	204
Management Discussion and Analysis	208
Corporate Governance	242
Auditors' Report to the President of India	262
Balance Sheet as on 31 March, 2014	264
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2014	265
Scheduled to Balance Sheet and Profit and Loss Account	266
Principal Accounting Policies	273
Notes Forming Part of the Accounts	**277**
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2014	**296**
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2014	**338**
Proxy Form	**365**
Attendance Form / Entry Form	**367**

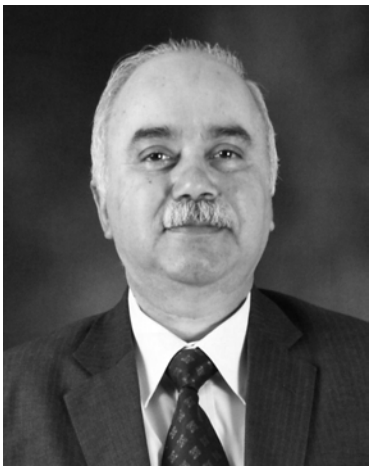

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक

वित्तीय वर्ष 2013–14, बैंक के लिए सुदृढीकरण का वर्ष रहा है. बाजार परिदृश्य को देखते हुए व्यावसायिक वृद्धि यथोचित रही है. बैंक ने अपना ध्यान कृषि, एसएमई एवं रिटेल अग्रिमों जैसे व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में केन्द्रित किया, जिसके सुपरिणाम वर्ष के दौरान दिखाई दिए.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूसरे साल अर्थात वर्ष 2013–14 में भी वृद्धि दर मामूली ही रही. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आकलन के मुताबिक वर्ष 2013 की 3.0 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014 में 3.6 प्रतिशत एवं वर्ष 2015 में 3.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि होना अनुमानित है. भारत का आर्थिक कार्य–निष्पादन उम्मीद से कमतर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए पूर्वानुमानों को संशोधित करते हुए कम किया गया है. धीमी प्रगति, उच्चतर मुद्रास्फीति एवं बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा हमारी अर्थव्यवस्था को कड़ी चुनौतियां दे रहे हैं. केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्थान (सीएसओ) के ताजा अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि प्रगति, वर्ष 2012–13 में दर्ज की गई 5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2013–14 में 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च 2014 में (मार्च 2013 की तुलना में) 5.70 प्रतिशत रही, जो गत माह में 4.68 प्रतिशत एवं गत वर्ष के संबंधित माह में 5.65 प्रतिशत थी. इस वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नजरिया प्रगति एवं मुद्रास्फीति की गतिशीलता के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु एक सुविचारित दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है. वर्ष के दौरान समग्र चलनिधि स्थिति भी तंग ही बनी रही. यही नहीं, इस वर्ष रुपए में भारी उतार–चढ़ाव की स्थिति परिलक्षित हुई तथा गत वर्ष की तुलना में यूएस डॉलर के मुकाबले इसका अवमूल्यन हुआ.

आर्थिक वृद्धि दशक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाने और मुद्रास्फीति एवं ब्याज दरों के उच्चतर स्तर पर बने रहने से पिछले दो वर्षों से बैंकों की आस्ति–गुणवत्ता बदतर होती जा रही है. सकल अशोध्य ऋण, तीव्रता के साथ बढ़कर कुल ऋणों के 4% तक हो गए हैं, जो तीन वर्ष पूर्व 2.36 प्रतिशत थे.

इन विषम परिस्थितियों के बावजूद, बैंक का कुल व्यवसाय 5.25% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 4,23,390 करोड़ तक बढ़ गया, जो वित्त वर्ष 2012–13 में 4,02,272 करोड़ था. बैंक की जमाओं एवं अग्रिमों में क्रमशः 6.21% तथा 4.02% की वृद्धि रही है. कुल जमाओं में कासा का प्रतिशत 33.33% हो गया, जो वित्त वर्ष 2012–13 में 32.55% था. कारोबार में लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उच्च लागत वाली जमाराशियों को काफी कम किया गया है. कुल जमाओं में उच्च लागत वाली जमाओं का अनुपात मार्च 2014 में घटकर 21.84% हो गया, जबकि मार्च 2013 में यह बहुत अधिक अर्थात् 24.37% था. संकलित कोर जमाओं में 9.48% की वृद्धि से यह भलीभांति परिलक्षित होता है.

बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2012–13 के ₹ 3173 करोड़ से बढ़ कर ₹ 3238 करोड़ हो गया, जो 2.05% वृद्धि दर्शाता है, जबकि अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए उच्चतर प्रावधानों के कारण बैंक का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 2012–13 के ₹1015 करोड़ से घटकर ₹ (1263) करोड़ हो गया.

बैंक की जमा–लागत वित्तीय वर्ष 2012–13 के 7.42% से घटकर 7.24% हो गई है. बैंक की शुद्ध ब्याज आय 13.16% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के ₹ 5738 करोड़ से बढ़कर ₹ 6493 करोड़ हो गई है. बैक की अन्य आय अथवा शुल्क आधारित आय 15.35% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के ₹ 1667 करोड़ से बढ़कर ₹ 1923 करोड़ हो गई है.

आस्तियों की गुणवत्ता पिछले कुछ वर्षों से बैंक के लिए चिंता का विषय रहा है. सकल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत बढ़कर 6.27% हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2012–13 में 4.80% था एवं शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का प्रतिशत बढ़कर 3.75% हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2012–13 में 2.90% था. बुनियादी संरचना, टेक्सटाइल्स, लौह एवं इस्पात, प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में व्याप्त दबावपूर्ण परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है. एनपीए प्रबंधन के मामले में आपका बैंक स्वयं–सक्रिय रहता है एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में बैंक अपने सकल एनपीए का प्रतिशत 5.5% एवं शुद्ध एनपीए का प्रतिशत 3.00% से कम रखने के अपने प्रयास जारी रखेगा.

अर्थव्यवस्था के ''अंतिम छोर'' तक पहुंचने के लिए विभिन्न वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से बैंक समावेशी विकास में पूर्णतया सक्रिय है. सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कार्यान्वयन कई जिलों में किया जा रहा है, जिनमें से आठ जिलों में हम अग्रणी बैंक हैं, वित्तीय वर्ष 2014–15 में इन जिलों के साथ– साथ, नये जिलों में और अधिक प्रगति की जाएगी. बैंक की कासा जमा बढ़ाने एवं ऋण विस्तार की दिशा में भी यह कार्यक्रम हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा.

मार्च 2014 में अपनी 4573 शाखाओं, जिनमें से 2/3 ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्र में हैं एवं 3677 अति लघु शाखाएं हैं, के साथ यह बैंक **रिटेल बैंक** होने की अपनी छवि को बरकरार रखेगा. आपका बैंक यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो विद्यमान गति से अपेक्षाकृत और तेज गति से प्रगति करे.

वर्ष के दौरान, बैंक को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए **''नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एमएसएमई लेंडिंग''** के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया. ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा बैंक को 'ट्रेनिंग एक्सीलेंस' के लिए 'एचआर अवार्ड (गोल्ड अवार्ड) प्रदान किया गया. कॉस्ट एकाउन्टेन्स ऑफ इंडिया द्वारा बैंक को **'एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट'** के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया. बैंक को सीएनबीसी टीवी एंड युटीआई म्युच्युअल फंड द्वारा **'बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड अंडर पीएसयू कैटेगरी'** से सम्मानित किया गया तथा बैंक को **ग्रीनटेक सेफ्टी अवार्ड–201**3 भी प्राप्त हुआ. बैंकॉन 2013 के दौरान, बैंक ने **'मोस्ट इनोवेटिव ब्रॉड बेस्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग'** श्रेणी के अंतर्गत स्पेशल मेंशन अवार्ड जीता. चेम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में बैंक ने दो श्रेणियों में उत्कृष्ट बैंकिंग अवार्ड यथा 1) ईको–टेक्नॉलॉजी अवार्ड–रनर अप एवं 2) ज्यूरी अवार्ड फॉर न्यू इनिशिएटिव्ज प्राप्त किए. ये सम्मान यह दर्शाते हैं कि आपके बैंक द्वारा किये गए प्रयास एवं पहल सबके द्वारा सराहे जा रहे हैं.

बैंक की 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है.

शुभकामनाओं सहित

आपका

राजीव ऋषि

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई, 2014

निदेशक मंडल श्री राजीव ऋषि श्री आर.के. गोयल श्री अनिमेष चौहान श्री बी.के. दिवाकर डॉ. सौरभ गर्ग श्री शेखर भटनागर श्री गुमान सिंह प्रो. एन. बालकृष्णन श्री कृष्ण सेठी श्री एम.पी. शोरावाला श्री एस.बी. रोडे श्री गुरबख्श कुमार जोशी श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	**BOARD OF DIRECTORS** SHRI RAJEEV RISHI SHRI R.K. GOYAL SHRI ANIMESH CHAUHAN SHRI B.K. DIVAKARA Dr. SAURABH GARG SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI GUMAN SINGH PROF. N. BALAKRISHNAN SHRI KRISHAN SETHI SHRI M.P. SHORAWALA SHRI S. B. RODE SHRI GURBAX KUMAR JOSHI SMT. N. S. RATHNAPRABHA
लेखा परीक्षक मे. कुमार चोपड़ा एंड एसोशिएट्स मे. पी.के. सुब्रमणियम एंड कंपनी. मे. दूगड़ एंड एसोशिएट्स मे. एन सरकार एंड कंपनी. मे. एन. चौधरी एंड कंपनी. मे. बी.एन. मिश्रा एंड कंपनी.	**AUDITORS** M/s Kumar Chopra & Associates M/s P.K. Subramaniam & Co. M/s Doogar & Associates M/s N. Sarkar & Co. M/s N. Chaudhuri & Co. M/s B.N. Misra & Co.
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. सी–13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम) मुम्बई –400078 टेलीफोन: 022–25946970 फैक्स : 022–25946969 ई–मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in	**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS** Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound LBS Marg, Bhandup (West) Mumbai-400078 Tel: 022-25946970 Fax: 022-25946969 E-mail ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता सहायक महाप्रबंधक–एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी नरीमन पॉइंट मुंबई–400 021 संपर्क नं. 022– 6638 7818 फैक्स : 022– 2283 5198 ई–मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in	**ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK** AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai 400 021 Contact No. 022- 6638 7818 Fax No.: 022- 2283 5198 Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 30 जून 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/ रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (प.), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

दिनांक 31 मार्च 2014 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र , दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर

स्थान: मुंबई **(ए. के. दास)**

दिनांक: 20.05.2014 **सहायक महाप्रबंधक–एमबीडी/कंपनी सचिव**

नोट :

1. **प्रॉक्सी– की नियुक्ति**

   बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

   प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2014 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2014 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

3. **बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.**

4. **उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पास**

   शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची–सह प्रवेश पास में प्रॉक्सीं अथवा प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

5 **शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :**

   शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता तय करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून, 2014 (बुधवार) से 30 जून, 2014 (सोमवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

6. **मतदान का अधिकार**

   अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान–अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा.

   उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लाएं.

9.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तदापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- ❖ बैंक का नाम
- ❖ शाखा का पता
- ❖ बैंक खाता संख्या
- ❖ शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- ❖ शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पन्ने की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

9.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर लाभांश वारंट (डी.डब्लू) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

10. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 35 बी के अनुपालन में बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. बैंक द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

I) वोटिंग अवधि के दौरान अपना वेब ब्राउजर खोलें एवं ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.

II) अब अपना वोट डालने के लिए शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.

III) अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सीक्वेंस नंबर ईवीएसएन को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ सिलेक्ट करें एवं सम्बिट पर क्लिक करें.

IV) अब उपयुक्त खानों में निम्नलिखित विवरण भरें.

यूजर आईडी — वे सदस्य जिनके शेयर डीमेट रूप में है :-

ए) एनएसडीएल के लिए :- 8 अंकों के डीपी आईडी के बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

बी) सीडीएसएल के लिए :- 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

सदस्य जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं :-

❖ बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर

पासवर्ड — आपका पासवर्ड इस नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति स्लिप-कम-एंट्री पास में मुद्रित है.

पैन* — आयकर विभाग से जारी अपना 10 अंकीय एल्फा न्यूमेरिक पैन नंबर भरें.

* जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी सहभागियों में अपने पैन नं अद्यतन नहीं किये हैं उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में डिफॉल्ट नंबर CBIMB1234B भरें.

v) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्टं करने के पश्चात, सम्बिट टेब पर क्लिक करें.

vi) ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा.

vii) डीमेट शेयरधारकों के लिए पासवर्ड परिवर्तन मेन्यू खुलेगा और उन्हें पासवर्ड फील्डो में अनिवार्यत: अपना लॉगिन पासवर्ड परिवर्तित करना होगा. नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोअर केस (ए-जेड), एक न्यूमरिक वेल्यू (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर (@,#,$ इत्यादि) होना चाहिए. कृपया नोट करें यदि किसी अन्य संस्था/कंपनी में मतदान के लिए पात्र हों और मतदान करना चाहते हों तो वहां भी वे इसी पासवर्ड का उपयोग करेंगे, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें.

viii) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी भी अद्यतन रख सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के बारे में संप्रेषण भेजने के लिए किया जा सकता है. सदस्य के पासवर्ड भूलने और इसे रीसेट करने की स्थिति में भी इसका उपयोग किया जा सकता है.

ix) यदि आपके शेयर डीमेट स्वरूप में हैं एवं आपने पूर्व में किसी कंपनी/संस्था के ईवीएसएन के लिए www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है तो विद्यमान लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही प्रयुक्त किया जाय.

x) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य अपने पासवर्ड एवं डिफॉल्ट नम्बर, सिर्फ इस सूचना में दिए गए प्रस्ताव पर ई-वोटिंग के लिए कर सकते है.

xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको प्रस्ताव विवरण एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए यस/नो का विकल्प दिखाई देगा. यस/नो (YES/NO) के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को व्यक्त करती है) प्रविष्ट करें अथवा विकल्पत: आप यस (YES) में कोई आंशिक संख्यां एवं नो (NO) में कोई आंशिक संख्या प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन यस (YES) एवं नो (NO) में प्रविष्ट कुल संख्या आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए.

xii) यदि आप संपूर्ण नोटिस वापस देखना चाहते हों तो रिजोल्यूशन फाइल लिंक पर क्लिक करें.

xiii) रिजोल्यूशन का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, सम्बिट पर क्लिक करें. एक कन्फंरमेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ओ.के. पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु केंसिल पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

xiv) प्रस्ताव पर अपना वोट कन्फर्म करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.

xv) कॉर्पोरेट/संस्था गत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक, हिन्दू अविभाजित परिवार, एनआरआई आदि के अलावा) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में), वोट देने हेतु पात्र विधिवत प्राधिकृत हस्ताकक्षरकर्ताओं जो वोट देने के लिए अधिकृत हो, के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षरों के साथ helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक प्रति भेजते हुए जांचकर्ता को ई–मेल आईडी : pramodshah361@gmail.com पर प्रेषित करें. उक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को कॉर्पोरेट नेम–ईवीएसएन नाम दिया जाए.

II. ई–वोटिंग समयावधि दिनांक 24 जून 2014 (10:00 एएम) से प्रारंभ हो कर दिनांक 26 जून 2014 (5:00 पीएम) को समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान दिनांक 23 मई 2014 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर अपना वोट देने के पश्चात उसे अपना मत परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होगा. यदि आपको ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हो अथवा कोई मुद्दा हो तो कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com से संपर्क करें.

III. शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार, कट–ऑफ तारीख (रिकार्ड तारीख) दिनांक 23 मई 2014 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे. तथापि बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिकता की स्थिति में स्वयं के द्वारा धारित किसी भी शेयरों के संबंध में वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.

IV. इस सूचना की एक प्रति बैंक की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.

V. ई–वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु श्री प्रमोद एस. शाह, कार्यरत कंपनी सचिव (प्रैक्टिस न. 3804 का प्रमाणपत्र) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

VI. ई–वोटिंग अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर जांचकर्ता कम से कम दो (2) साक्षियों, जो बैंक के कर्मचारी न हों, की उपस्थिति में वोटों को अनब्लॉक करेगा एवं पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए वोटों यदि हो, की जांच रिपोर्ट तत्काल अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा.

VII. बैंक के एजीएम में प्रस्ताव पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट WWW.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर

(ए. के. दास)

सहायक महाप्रबंधक–एमबीडी/कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक: 20.05.2014

कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%
सीडी अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83	77.97	76.36
आस्तियों पर प्रतिफल	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47)%

लाभप्रदत्ता

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%
परिचालन लागत	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43)
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31%	2.78	2.65	2.73
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%
गैर ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1395	1,667	1,923
वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%